राजस्थान–सरकार

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं 6–7, एवरेस्ट कॉलोनी, नियर अपेक्स मॉल, लाल कोठी, जयपुर–302015
फोन नम्बर 0141–2973804, 2988946 **Website:-** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांकः– रा.पे.मेडि.कौ./काउ.(सत्र 2018–19)/2018/2950 **दिनांकः–** 21-12-18

प्रधानाचार्य,
संबद्ध समस्त पैरामेडिकल कॉलेज,
राजस्थान।

विषयः– माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर याचिका संख्या SB Civil Writ Petition No. 23185/2018 के आदेश दिनांक 25.10.2018 की अनुपालना में प्राईवेट फेडरेशनों से प्राप्त सूची के आधार पर तृतीय ऑन लाईन काउन्सलिंग पश्चात् रिक्त रही सिटों पर सत्र 2018–19 मे प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की जोईनिंग हेतु दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर याचिका संख्या SB Civil Writ Petition No. 23185/2018 के आदेश दिनांक 25.10.2018 की अनुपालना में प्राईवेट फेडरेशनों से प्राप्त सूची के आधार पर तृतीय ऑन लाईन काउन्सलिंग पश्चात् रिक्त रही सिटों पर सत्र 2018–19 के लिए विभिन्न पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्राईवेट फेडरेशनों से प्राप्त सूची के आधार पर उपस्थित अभ्यर्थियों को दिनांक 19.12.2018 एवं 20.12.2018 को आवंटन पत्र राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर द्वारा जारी किये जा चुके है। कॉलेज आवंटन अभ्यर्थियों को उनकी पात्रतानुसार पाठ्यक्रम–महाविद्यालय आवंटन पत्र जारी किये गये है। आवंटन पत्र दिनांक 19.12.2018 एवं 20.12.2018 के सभी अभ्यर्थियों को दिनांक 27.12.2018 तक कार्यालय समय से पूर्व अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति आवंटित महाविद्यालय/संस्था में देनी है, निर्धारित समय तक उपस्थिति देने वाले, अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश देने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें:–

1. आवंटन पत्र में नाम एवं महाविद्यालय में प्रवेश हेतु उपस्थिति देने वाले सभी अभ्यर्थियों की कक्षा–10 एवं 12 की मूल अंकतालिका प्राप्त कर 12वीं कक्षा के प्राप्तांकों का मिलान करें, मिलान के पश्चात् रिकॉर्ड को महाविद्यालय की सील से प्रमाणित करते हुए अभ्यर्थी की 10वीं व 12वीं कक्षा की मूल अंकतालिका, आव्रजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate), मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र मूल प्रति महाविद्यालय में जमा करें।
2. अभ्यर्थी के द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के अलावा अन्य बोर्ड से 10वीं व 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने पर उसका सत्यापन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर द्वारा दी गई अनुदेशिका से मिलान करें।
3. अंकतालिका के मिलान के समय यह सुनिश्चित करें कि **उच्च माध्यमिक परीक्षा सामान्य वर्ग अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति, अन्य पिछडे वर्ग अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की गई हो।** इससे कम अंक वाले अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं है तथा आवंटन पत्र जारी होने पर भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जायें।
4. अभ्यर्थी द्वारा उच्च माध्यमिक परीक्षा विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान व गणित विषय) से उत्तीर्ण की गई है, यह सुनिश्चित करें। **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान व गणित विषयों के अलावा अन्य विषयों यथा कृषि विज्ञान, भूगोल विज्ञान आदि विषयों से उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण अभ्यर्थी पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं है।** किसी भी अनियमित प्रवेश पर समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।
5. अभ्यर्थी की **आयु दिनांक 31.12.2018 तक 17 वर्ष** पूर्ण होनी अनिवार्य है।

6. राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर द्वारा जारी आवंटन पत्र में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के लिए महाविद्यालय में प्रवेश लेने की **अंतिम तिथि दिनांक 27.12.2018 सांय 4.00 बजे** तक उपस्थित होना आवश्यक है।

7. यदि कोई अभ्यर्थी गलत विवरण देकर या सूचना छुपाकर अथवा किसी प्रकार से अयोग्य होने पर भी किसी भी कारणवश आवंटन पत्र (प्रवेश) प्राप्त कर लेता है तो गलती का पता चलने पर, चाहे छात्र उस समय अध्ययन कर रहा हो, उसका प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। प्रवेश के समय उपस्थिति (Reporting) के समय अभ्यर्थी को इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप अवगत कराया जाये।

अतः समस्त पैरा मेडिकल महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों को उपस्थिति (Reporting) करवाते हुए महाविद्यालय अपने लेटर पेड पर अभ्यर्थियों की उपस्थिति की सूचना **दिनांक 31.12.2018 सांय 5.00 बजे** तक आवश्यक रूप से राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल की **ई–मेल rpmc.helpdesk@gmail.com** पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

रजिस्ट्रार